

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—1141/2003

संस्थित दिनांक—11.07.2003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र—रूपझर

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

संतलाल उइके पिता गोबरिया, उम्र 52 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी—खुरसुड़, थाना रूपझर,

जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—08/10/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 39/51 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—13.06.2013 को करीब 17:25 बजे ग्राम खुरसुड़, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी चीतल व सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये, जो कि वन्य प्राणी चीतल व सांभर का अवैध शिकार कर प्राप्त किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—13.06.2003 को पुलिस चौकी प्रभारी डोरा को मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी संतलाल अपने घर से सांभर व चीतल के सींग लेकर जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखी बोरी से तीन सींग चीतल के तथा दो सींग सांभर के मिले। आरोपी से उक्त चीतल व सांभर के सींग को कब्जे में रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर आरोपी ने पेश नहीं किया तथा सांभर व चीतल का शिकार कर मांस खाकर सींग जमा किया जाना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उक्त चीतल व सांभर के सींग को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा चौकी वापस आकर आरोपी के विरुद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी डोरा में अपराध क्रमांक—0/2003 अंतर्गत धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना रूपझर द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—152/2003, धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा चीतल व सांभर के सींग का तौल पंचनामा तैयार किया गया

तथा जप्तशुदा सींग का परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-13.06.2013 को करीब 17:25 बजे ग्राम खुरसुड़, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी चीतल व सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये, जो कि वन्य प्राणी चीतल व सांभर का अवैध शिकार कर प्राप्त किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— आरक्षक जयवंतलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.06.2013 को चौकी डोरा थाना रूपझर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रधान आरक्षक कमल डहेरिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी संतलाल अपने घर से टाट की बोरी में सांभर और चीतल का सींग लेकर बिक्री करने जाने वाला है। वह उस सर्चिंग में था तो उसे प्रधान आरक्षक कमल डहेरिया द्वारा उक्त के संबंध में बताया गया था। सर्चिंग पाटी एवं शिवकुमार, मेहतरदास और साधूदास को भी उक्त के संबंध में अवगत कराया गया था। वे सभी लोग तलाशी करते हुए आरोपी संतलाल के घर के तरफ जा रहे थे तो तभी आरोपी आम रोड़ पर मिला था, जिसके पास एक टाट की बोरी मिली, जिसमें सींग बाहर दिखाई दे रहे थे, जिसे रोककर टाट खुलवाया गया और तलाशी लिया गया तो उसमें तीन सींग सांभर के और दो सींग चीतल के रखे हुये मिले थे, आरोपी से उक्त सींग रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति की मांग किये जाने पर आरोपी ने अनुज्ञप्ति पत्र पेश नहीं किया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि उसने सांभर और चीतल का शिकार कर मांस खा गया और सींग इकट्ठा किया है। ज्ञानसिंह ठाकुर चौकी प्रभारी डोरा ने आरोपी से सींग जप्त कर और उसे गिरफ्तार कर सींग को तौल कर पंचनामा बनाया था। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी को उन्होंने घर से उठाकर थाने ले गये थे और थाने में बुलाकर जप्ती की कार्यवाही पर गवाहों से हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है।

6— प्रकरण में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भर है। जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.06.2003 को चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी से प्रातः 8:20 बजे हमराह स्टाफ एस.एफ.डी.एफ. के साथ रवाना हुआ था। जंगल

सर्चिंग करते समय प्रधान आरक्षक 570 कमल डहेरिया और आरक्षक 33 अनिल को मुखबिर की सूचना मिली कि अशफाक कुरैशी और संतलाल उईके के पास में वन्य प्राणी हिरण प्रजाति के सींग है जो आज बेचने के लिए जा रहे हैं। उसके द्वारा उक्त सूचना की तश्दीक हेतु हमराह स्टाफ को सूचना से अवगत कराया गया और साक्षी मेहतरलाल, साधूलाल को साथ लेकर गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी को मुखबिर की सूचना पर स्टाफ को लगाया गया, जिस पर आरक्षक महेन्द्र मोहारे ने आरोपी अशफाक कुरैशी से हिरण प्रजाति के सींग जप्त कर पेश किया था तथा आरक्षक जैवंतलाल ने आरोपी संतलाल के कब्जे से हिरण प्रजाति के सींग एक बोरे में पकड़कर जप्त किया था। दोनों आरक्षकों ने पृथक-पृथक जप्तशुदा सामान को आरोपी सहित थाने में लेकर आया और वापसी रोजनामाचा सान्हा में उक्त के संबंध में दर्ज किया। रवानगी सान्हा दिनांक-13.06.2003 क्रमांक-447 समय 8:20 बजे प्रदर्श पी-5 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी-5सी है जो कि प्रकरण में संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापसी सान्हा दिनांक-13.06.2003 क्रमांक-459 समय 19:05 प्रदर्श पी-6 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी-6 सी है जो प्रकरण में संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक-13.06.2003 को ही आरोपी संतलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/03, धारा-9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी संतलाल से हिरण प्रजाति के 5 सींग जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा माल का तौल पंचनामा प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उसी समय आरोपी संतलाल को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा फरियादी जैवंतलाल, साक्षी शिवकुमार, साधूलाल, मेहतरदास, प्रधान आरक्षक कमल डहेरिया के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था। उसके द्वारा जप्तशुदा सींग का विधिवत् परीक्षण कराने हेतु वन विभाग को भेजा गया था, जिस पर वन विभाग की ओर से उक्त सींग का परीक्षण कर रिपोर्ट पेश किया गया था, जो उसके द्वारा चालान के साथ संलग्न किया गया है।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह तुरन्त सूचना देने वाले के साथ आरोपी के घर गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के कब्जे से सींग नहीं पकड़ा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके आरक्षक ने पकड़ा था और जप्ती बनायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब चीतल सांभर बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सींग झड़ जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि स्वतंत्र साक्षी शिवलाल, मेहतर व साधूलाल को छोड़कर शेष साक्षी पुलिसवाले हैं जो उसके अधिनस्थ कर्मचारी हैं।

8— आरक्षक कमल डहेरिया (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर था, उस समय चौकी प्रभारी डोरा ज्ञानसिंह ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खुरसुड़ में

आरोपी सांभर व चीतल के सींग रखा हुआ है और बेचने जाने वाला है। उक्त सूचना पर वे लोग मौके पर पहुंचे थे। आरक्षक जयवंतलाल ने आरोपी से बोरी में रखे हुए सींग जप्त कर जप्ती की कार्यवाही कर चौकी प्रभारी डोरा को दिया था। इस साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि जप्ती की कार्यवाही आरक्षक जयवंतलाल ने की थी और उसके पश्चात् औपचारिक जप्ती चौकी प्रभारी द्वारा पश्चातवर्ती दशा में पूर्ण की थी।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षीगण आरक्षक जयवंतलाल (अ.सा.1), जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) एवं कमल डहेरिया (अ.सा.5) जो कथित जप्ती कार्यवाही के महत्वपूर्ण साक्षीगण हैं। अभियोजन मामले के अनुसार आरक्षक जयवंतलाल ने आरोपी संतलाल के कब्जे से उसके मकान के सामने तथाकथित गवाहों के समक्ष चीतल व सांभर के सींग पकड़कर जप्त किये थे। इसके पश्चात् आरोपी को कथित सींग सहित थाने में लाया गया।

10— जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि उसके द्वारा आरक्षक जयवंतलाल और आरोपी संतलाल के थाने में वापस आने पर जप्ती की गई थी या आरक्षक जयवंतलाल के द्वारा कथित जप्ती किये जाने के समय वह स्वयं भी उपस्थित था। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कथित मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर वह आरक्षक जयवंतलाल के साथ हमराह मौके पर रवाना हुआ था अथवा जयवंतलाल के द्वारा कथित जप्ती के पश्चात् औपचारिक जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-2 को तैयार किया गया था। साक्षी ने कथित जप्ती किये जाने वाले स्थान एवं जप्ती के साक्षीगण का भी नाम प्रकट नहीं किया है। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जप्ती दिनांक-13.06.2003 समय 17:25 बजे स्थान संतलाल के मकान के सामने ग्राम खुरसुड़ में कथित जप्ती की गई थी। जबकि जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) के न्यायालयीन कथन में उक्त जप्ती वाले स्थान को प्रकट नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के कब्जे से सींग नहीं पकड़ा था तथा साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके आरक्षक ने पकड़ा था और उसने जप्ती बनाया था। साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह भी कथित जप्ती कार्यवाही के समय मौके पर हमराह गया हुआ था, बल्कि उसके कथन से यह प्रकट होता है कि दोनों आरक्षकों ने पृथक-पृथक जप्तशुदा सामान को आरोपी सहित लेकर आये और उसके बाद उसने वापसी रोजनामचा सान्हा दर्ज किया। इसके विपरीत रोजनामचा सान्हा वापसी दिनांक-13.06.2003 प्रदर्श पी-6 में यह उल्लेखित है कि वह स्वयं चौकी प्रभारी के रूप में हमराह कमल, अनिल, महेन्द्र, जयवंतलाल व अन्य स्टाफ के साथ जंगल सर्च करते समय आरोपी के मकान के सामने कथित गवाहों के समक्ष सींगों की जप्ती कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जप्ती अधिकारी की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है, जिसका स्पष्टीकरण जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है।

10— जप्ती अधिकारी की कार्यवाही एवं उसकी न्यायालयी साक्ष्य में परस्पर

विरोधाभाष एवं विसंगति पूर्ण तथ्य प्रकट होने से जप्ती के कथित स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य का महत्व बढ़ जाता है। अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में मेहतरदास (अ.सा.2), शिवकुमार (अ.सा.3) की साक्ष्य महत्वपूर्ण से विचारणीय है।

11— स्वतंत्र साक्षी मेहतरदास (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह ग्राम खुरसुड़ का कोटवार है, उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने सांभर का सींग व चीतल के सींग चौकी डोरा में देखा था। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर, उसने ऐसा बयान न लिखाया जाना व्यक्त किया। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं तौल पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर किया था और उस समय आरोपी वहां पर नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से सींग जप्त नहीं किये गये थे। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है।

12— स्वतंत्र साक्षी शिवकुमार (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना एक साल पहले की है, उसे चौकी डोरा के मुंशी जयवंतलाल लिल्हारे ने बतलाया था कि आरोपी से सांभर व चीतल के सींग जप्त किये थे। उसे चौकी डोरा में सांभर व चीतल के सींग दिखाये गये थे। इसके अलावा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी से सांभर व चीतल के सींग जप्त नहीं किये गये थे। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर, उसने ऐसा बयान न लिखाया जाना व्यक्त किया। उसके समक्ष सींग को तौला गया था, जिसका तौल पंचनामा प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उक्त दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर कराये थे, जिसे उसने पढ़ा नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है।

13— विनोद कुसरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.06.2013 को चौकी डोरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी डोरा में शून्य में कायम किये गये आरोपी संतलाल के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट असल नम्बर पर कायम किये जाने हेतु थाना रूपझर में दिया गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रूपझर में असल नम्बर अपराध क्रमांक-152/2003 कायम किया गया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

14— प्रीतमसिंह कौशल (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.06.2013 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक जयवंतलाल लिल्हारे द्वारा पुलिस चौकी चौकी डोरा से शून्य पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को लाये जाने पर उसके द्वारा असल नम्बर पर

अपराध क्रमांक-152/2003 में कायम किया गया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में असल कायमी किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

15- गुलशन उइके (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.07.2003 को चौकी डोरा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-152/2003 में जप्तशुदा सींग सीलबंद हालत में चौकी प्रभारी के कहने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी लौगूर के पास सीलबंद हालत में परीक्षण हेतु ले जाया गया था। रजिस्टर में प्राप्त सीलबंद हालत में पाया गया था, जो थाने में दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा सीलबंद किये जाने का पंचनामा नहीं बनाया गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने सीलबंद नहीं किया था। अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी एवं अन्य साक्षीगण ने भी कथित सींग को सीलबंद किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा सीलबंद हालत में सींग को परीक्षण हेतु ले जाने के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।

16- कमल बिसेन (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि तीन वर्ष पहले सुबह करीब 9:30 बजे शिवकुमार और मेहतर के सामने डोरा चौकी के दरोगा साहब ने चीतल, सांभर के सींग को तौलकर उसका वजन पंचनामा बनाया गया था, पंचनामा प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि उक्त सींगों का वजन कितना था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त सींग पुलिस ने कहां से लायी थी, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सींग सीलबंद हालत में नहीं थे।

17- तुलसीराम पिछोड़े (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक-01.07.2003 को वह लौगूर सामान्य परिक्षेत्र में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त क्षेत्र उसे प्रभार के तौर पर मिला था। उसने चौकी डोरा प्रभारी को उक्त सींगों का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा परीक्षण करने पर दो सींग सांभर, तीन हिरन के सींग होना पाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि उसके पास वन्य प्राणियों के संबंध में डाक्ट्रेड की उपाधि नहीं है। साक्षी का कथन है कि सींगों का परीक्षण स्थानीय चिकित्सक से कराया जाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सांभर के सींग अधिक पुराने होने से राय देना संभव नहीं था। वह यह नहीं बता सकता कि उसके पास सामग्री खुली आयी थी या किसी बस्ते में आयी थी। साक्षी ने द्वारा विशेषज्ञ के रूप में सींगों की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 तैयार की गई है, किन्तु विशेषज्ञ के रूप में अर्हता नहीं होना साक्षी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी द्वारा केवल वन अधिकारी के रूप में पदस्थ होने और मात्र कथित अनुभव के आधार पर सींग की परीक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने का तथ्य प्रकट होता है, जिसमें उसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी राय बनाने का आधार प्रकट नहीं किया है। साक्षी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 को निश्चायक सबूत के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता

कि परीक्षण के आधार पर कथित सांभर या चीतल के सींग थे। इसके अलावा यह तथ्य भी प्रकट नहीं होता कि मामले में कथित जप्तशुदा सींगों का ही परीक्षण किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि स्वयं जप्ती अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब चीतल सांभर बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सींग झड़ जाते हैं। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि आसानी से उपलब्ध सींगों की परीक्षण रिपोर्ट फर्जी रूप से तैयार कर प्रकरण में पेश की गई है। उक्त तर्क को विचार में रखते हुए मामले में प्रस्तुत तथ्य से प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित जप्ती के पश्चात् सींगों को सीलबंद नहीं किया गया है। अतएव इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस ने अन्य प्रकार से प्राप्त किये गये सींगों को औपचारिक परीक्षण करवाकर इस मामले में जप्ती दर्शाते हुए पेश किया गया है।

18— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में पुलिस अधिकारी के द्वारा कथित मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किये जाने का आधार प्रकट किया है, किन्तु सम्पूर्ण कार्यवाही जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई है। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस कारण मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य अन्य साक्षी की तरह विश्वसनीय मानी जानी चाहिए, किन्तु जहां मामला एकमात्र पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पर निर्भर करता हो वहां ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जांच एवं विवेचना निष्पक्षतापूर्ण एवं संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है।

19— जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षीगण ने समर्थन नहीं किया है। कथित हमराह आरक्षक जयवंतलाल (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मौके पर जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर उपस्थित नहीं था, बल्कि स्वयं ही उसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर पश्चात् में ज्ञानसिंह ठाकुर चौकी प्रभारी को आरोपी सहित सींग सौंप कर औपचारिक रूप से जप्ती की कार्यवाही पूर्ण की गई है। इस प्रकार जप्ती पंचनामा के अनुसार की गई कार्यवाही और जप्ती अधिकारी एवं कथित हमराह आरक्षक जयवंतलाल (अ.सा.1) एवं के न्यायालयीन साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास एवं विसंगति होना प्रकट होती है। इसके अलावा स्वतंत्र साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन न किये जाने और उनकी साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि सम्पूर्ण कार्यवाही चौकी प्रभारी के रूप में चौकी में ही पूर्ण कर मामला तैयार कर लिया गया है।

20— अभियोजन को स्वयं अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करना होता है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से जो संदेहास्पद एवं विसंगति पूर्ण तथ्य उत्पन्न हुये हैं, उन्हें अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है। मौके पर आरक्षक के द्वारा जप्ती किये जाने और पश्चात् में जप्ती अधिकारी के द्वारा जप्ती की कार्यवाही मात्र औपचारिक रूप से पूर्ण करने, जप्ती अधिकारी का मौके पर उपस्थित न होना, किन्तु मौके पर जप्ती पंचनामा

की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख करने से विसंगति पूर्ण एवं विरोधाभासी तथ्य प्रकट होता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुलिस अधिकारी की उक्त विसंगति एवं विरोधाभासी कार्यवाही के आधार पर विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। इस कारण से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आरोपी के आधिपत्य में कथित सींग अवैध रूप से रखे पाये गये एवं इस कारण आरोपी ने कथित चीतल या सांभर का अवैध शिकार कर उक्त सींगों को प्राप्त किया।

21— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी चीतल व सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये, जो कि वन्य प्राणी चीतल व सांभर का अवैध शिकार कर प्राप्त किया। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 39/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

22— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

23— प्रकरण में आरोपी दिनांक-14.06.2003 से 21.06.2013 तक, दिनांक-21.02.2006 से 02.05.2006 तक, दिनांक-14.03.2014 से आज दिनांक-08.07.2014 तक कुल 09 माह 10 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

24— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 02 नग सांभर के सींग तथा 03 नग चीतल के सींग को विधिवत निराकृत किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट